राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1126/2024

रजनीश मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, सेठ चंटूलाल धनालाल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानसूर, अलवर।
4. मनोज यादव, व्याख्याता, गणित, सेठ चंटूलाल धनालाल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानसूर, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक : 26.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता, गणित, सेठ चंटूलाल धनालाल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानसूर, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को गलत तरीके से अधिशेष/दोहरा पदस्थापन दिखाते हुए समायोजन के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया ताकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समायोजित किया जा सके, जिसका वेतन अन्य स्थान से आहरित किया जा रहा है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से भीमराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बर्डोद, अलवर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सेठ चंटूलाल धनालाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानसूर, अलवर से शहीद हरिपाल यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झखराना, अलवर निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात आदेश में संशोधन किया गया और प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत रखा गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24.09.2022 के विरूद्ध अधिकरण में अपील संख्या 4929/2022 मनोज यादव बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत की, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अंतरिम स्थगन आदेश प्रदान किया गया। जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा बानसूर, अलवर में कार्यभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक 09.11.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपील का अंतिम रूप से निस्तारण कर प्रत्यर्थी विभाग को नये सिरे से स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। अपीलार्थी का कथन है कि स्थानान्तरण आदेश के अनुसरण में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नियमित रूप से कार्य कर रहा है एवं अपीलार्थी का वेतन उसी स्थान से प्राप्त हो रहा है (अनुलग्नक–5)। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का वेतन अन्य स्थान से आहरित किया जा रहा है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण सेठ चंटूलाल धनालाल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बानसूर, अलवर से भीमराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बर्डोद, अलवर किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर दिनांक 26.09.2022 से कार्यरत है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान स्थान पर अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी कार्यरत होने से दोहरे पदस्थापन की स्थिति है। अतः स्थानान्तरण सही आधार पर किया गया है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया। स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और

अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य